दैनिक भास्कर

दौसा भास्कर 22-06-2023

मानवाधिकार आयोग ने श्रद्धालुओं की शिकायत पर की कार्रवाई, एक साल पहले भी आयोग ने मांगी थी रिपोर्ट

मेहंदीपुर बालाजी में अव्यवस्थाओं पर मानवाधिकार आयोग का संज्ञान, डीजीपी, कलेक्टर-एसपी से 26 तक मांगी रिपोर्ट

भास्कर न्यूज़ | मेहंदीपुर बालाजी

राज्य मानवाधिकार आयोग ने मेहंदीपुर बालाजी में अव्यवस्थाओं को लेकर संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक, कलेक्टर व एसपी से 26 जून तक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।

मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने बालाजी में पार्किंग, लपका गैंग, यातायात, अतिक्रमण सहित अन्य अव्यवस्थाओं की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिदेशक यातायात, पुलिस अतिरिक्त महानिदेशक, दौसा व करौली कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखकर 26 जून तक मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए है। दरअसल, गत दिनों मेहंदीपुर बालाजी आए श्रद्धालु महेंद्र देवास, सोहन वर्मा मुजफ्फर नगर, पंकज यादव, ओमप्रकाश दिल्ली, अवनीश अवस्थी इलाहबाद, मुरारी लाल शर्मा, अरविंद फरीदाबाद हरियाणा ने राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष को पत्र लिखकर शिकायत की थी, जिसमे श्रद्धालुओं को बालाजी धाम में पुलिस की कार्यशैली, मंदिर मार्ग पर बेलगाम अतिक्रमण, दुकानों के बाहर दुकानदारों द्वारा रोड पर लगे ठेले, यात्री वाहन कार को मंदिर से 2 किलोमीटर पहले ही पुलिस का होर्डिंग, बैरिकेड्स लगाकर रुकवाना व अवैध पार्किंग संचालन सहित यात्री वाहनों से मनमाना शुल्क वसूलने, मंदिर के पास उदयपुरा तिराहे पर गाड़ियों का जमघट लगने से पैदल यात्रियों को असुविधा के साथ दुर्घटना की आशंका बने रहने की शिकायत की थी। जिस पर आयोग द्वारा अब तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है।

आयोग ने इनको दिए मामले की रिपोर्ट पेश करने के आदेश

मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में अव्यवस्थाओं को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष ने पुलिस महानिदेशक राजस्थान, यातायात पुलिस अतिरिक्त महानिदेशक राजस्थान, दौसा और करौली जिले के एसपी और कलेक्टर को मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट 26 जून तक पेश करने के निर्देश दिए है साथ ही दौसा कलेक्टर को 6 फरवरी 2023 को आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश की प्रतिलिपि प्रेषित करने के भी निर्देश दिए है। जिसकी पालना रिपोर्ट भी दौसा कलेक्टर से 26 जून को आयोग के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए है।

पूर्व में भी पुलिस व प्रशासन की झूठी रिपोर्ट पर जताई थी नाराजगी

दरअसल, आयोग अध्यक्ष ने गत वर्ष 13 जून 2022 को को पेश गई पालना रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की थी। अतिरिक्त महानिदेशक यातायात पुलिस राजस्थान, करौली-दौसा कलेक्टर और एसपी, जिला परिषद आयुक्त दौसा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, विद्युत विभाग अधीक्षण अभियंता दौसा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की थी। जिसमें आयोग को आश्वस्त किया गया कि आयोग के आदेश 13 जून 2022 की पालना की जा चुकी है। लेकिन 20 जून 2023 को आए प्रार्थना पत्र से ये स्पष्ट है कि आयोग जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वह कार्रवाई के नाम पर महज कागजी आंकड़े थे।

मेंहदीपुर बालाजी में फैली अव्यवस्थाओं के बारे में श्रद्धालुओं ने मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष को कराया अवगत

आयोग ने 26 जून तक तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के दिए आदेश, प्राइवेट पार्किंग पर अवैध वसूली का लगाया आरोप
पहले भेजी गई पालना रिपोर्ट पर आयोग अध्यक्ष ने जताई नाराजगी

महानगर संवाददाता

मेंहदीपुर बालाजी। मेंहदीपुर बालाजी कस्बे में प्राइवेट पार्किंग संचालकों, स्थानीय पुलिसकर्मियों और लपका गिरोह के बढ़ते आतंक से परेशान होकर कुछ श्रद्धालुओं ने इसकी शिकायत राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास से की है। ऐसे में मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष ने पुलिस महानिदेशक राजस्थान, यातायात पुलिस अतिरिक्त महानिदेशक राजस्थान सहित करौली और दौसा जिले के कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखकर 26 जून तक मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए है।

दरअसल कुछ दिन पूर्व मेहंदीपुर बालाजी आए श्रद्धालु महेंद्र देवास, सोहन वर्मा मुजफ्फर नगर, पंकज यादव, ओमप्रकाश दिल्ली, अवनीश अवस्थी इलाहबाद, मुरारी लाल शर्मा, अरविंद फरीदाबाद हरियाणा ने राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष को पत्र लिखकर शिकायत की है। शिकायत में उन्होंने बताया कि, प्रसिद्ध आस्थाधाम मेहंदीपुर बालाजी में देश के कोने-कोने से श्रद्धालु बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए आते है। लेकिन जैसे-जैसे बालाजी धाम पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। यात्रियों को असुविधा ही नहीं, पुलिस की लूटपाट का भी शिकार होना पड़ रहा है। बालाजी धाम को जाने वाले रास्ते में भारी अतिक्रमण है। दुकानों के बाहर दुकानदारों द्वारा ठेले रोड पर लगा रखे हैं।

स्थानीय पुलिसकर्मी इनसे वसूली कर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते है। वाहन कार आदि से आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर से 2 किलोमीटर पहले ही पुलिस का होर्डिंग, बैरिकेट्स लगा सादा वर्दी के पुलिस वाले और लोकल गुंडों द्वारा गाड़ियों को रोक दिया जाता है। साथ ही प्राइवेट पार्किंग में गाड़ियों को पार्क करने के लिए बाध्य किया जाता है। जहां पर 100 रुपए पार्किंग शुल्क वसूला जाता है। जबकि अन्य प्राइवेट पार्किंग सामान्यत: 20 से 50 रुपए ही लेते हैं। जबकि धर्मशाला वाले निशुल्क पार्किंग करने देते हैं। गाड़ी में बैठे वृद्ध विकलांग, असहाय, बीमार को कार से उतरकर 2 किलोमीटर मंदिर तक पैदल जाना पड़ता है। पार्किंग के नाम पर पुलिस द्वारा भारी लूट मचा रखी है। मंदिर के रास्ते में पुलिस द्वारा तीन जगह पुलिस होर्डिंग, बैरिकेट्स लगा रखे है। पैसे देने पर गाड़ियों को बिना पार्क किए ही मंदिर तक जाने देते है। पैसे नहीं देने पर गाड़ी मालिक(श्रद्धालुओं) से पुलिस वालों द्वारा मारपीट गाली-गलौज तक की जाती है। गाड़ियों को रोककर रोड जाम करवाया जाता है। विरोध करने पर तत्काल वर्दीधारी पुलिसकर्मी आकर यात्री को थाने ले जाते है। छोड़ने के लिए भारी रिश्वत वसूल करते है। धार्मिक स्थल पर इस तरह का अनाचार बड़ा दुख है। जो गाड़ी वाले यात्री पुलिस को पैसा देते है, वह अपनी गाड़ी मंदिर तक ले जाते है। जिससे मंदिर के पास उदयपुरा तिराहे पर गाड़ियों का जाम लग जाता है। जिससे पैदल यात्रियों को असुविधा होती है। दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। लेकिन स्थानीय पुलिसकर्मी और ट्रैफिक पुलिस का को कांस्टेबल नहीं रहता। सारे पुलिसकर्मी पार्किंग के पास बनाते बैरिकेट्स के आसपास बैठे रहते है। जिससे यात्रियों से अवैध वसूली कर सकें। साथ ही शिकायत पत्र में बताया कि इस मामले की जानकारी थाना प्रभारी को भी है लेकिन वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते है।

इस मामले में शिकायतकर्ताओं ने राज्य मानव अधिकार आयोग से कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष ने पुलिस महानिदेशक राजस्थान, यातायात पुलिस अतिरिक्त महानिदेशक राजस्थान, दौसा और करौली जिले के एसपी और कलेक्टर को मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट 26 जून तक पेश करने के निर्देश दिए है। साथ ही दौसा जिला कलेक्टर को 6 फरवरी 2023 को आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश की प्रतिलिप प्रेषित करने के भी निर्देश दिए है। जिसकी पालना रिपोर्ट भी दौसा जिला कलेक्टर से 26 जून को आयोग के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए है। साथ ही आयोग अध्यक्ष ने गत वर्ष 13 जून 2022 को को पेश गई पालना रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की है।

आयोग अध्यक्ष ने बताया कि, मेहंदीपुर बालाजी में हो रही अव्यवस्थाओं के संबंध में 13 जून 2022 को कुल आठ बिंदुओं पर अतिरिक्त महानिदेशक यातायात पुलिस राजस्थान, करौली-दौसा जिला कलेक्टर और एसपी, जिला परिषद आयुक्त दौसा, मुख्य चिकत्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, विद्युत विभाग अधीक्षण अभियंता दौसा से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की थी। जिसकी पालना करते हुए समय-समय पर आयोग को पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें आयोग को आश्वस्त किया गया कि आयोग के आदेश 13 जून 2022 की पालना की जा चुकी है। लेकिन 20 जून 2023 को आए प्रार्थना पत्र से ये स्पष्ट है कि आयोग को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, वो सिर्फ लीपा पोती कर प्रस्तुत की गई है।

दैनिक भास्कर करौली 22-06-2023

मेहंदीपुर बालाजी का मामला • मानवाधिकार आयोग ने श्रद्धालुओं की शिकायत पर की कार्रवाई

बालाजी में श्रद्धालु परेशान, मांगी रिपोर्ट

भास्कर न्यूज़ | मेहंदीपुर बालाजी

मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में प्राइवेट पार्किंग संचालकों और लपका गिरोह के बढ़ते आतंक से परेशान होकर कुछ श्रद्धालुओं ने इसकी शिकायत राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास से की है। ऐसे में मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष ने पुलिस महानिदेशक राजस्थान, यातायात पुलिस अतिरिक्त महानिदेशक राजस्थान सहित करौली और दौसा जिले के कलेक्टर और एसपी को पत्र लिखकर 26 जून तक मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

कुछ दिन पूर्व मेहंदीपुर बालाजी आए श्रद्धालु महेंद्र देवास, सोहन वर्मा मुजफ्फर नगर, पंकज यादव, ओमप्रकाश दिल्ली, अवनीश अवस्थी इलाहबाद, मुरारी लाल शर्मा, अरविंद फरीदाबाद हरियाणा ने राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष को पत्र लिखकर शिकायत की है। शिकायत में उन्होंने बताया कि प्रसिद्ध आस्थाधाम मेहंदीपुर बालाजी में देश के कोने-कोने से श्रद्धालु बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए आते हैं। लेकिन जैसे-जैसे बालाजी धाम पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। यात्रियों को असुविधा बढने लगी है। बालाजी धाम को जाने वाले रास्ते में भारी अतिक्रमण है। दुकानों के बाहर दुकानदारों द्वारा ठेले रोड पर लगा रखे हैं। वाहन से आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर से 2 किलोमीटर पहले ही पुलिस का होर्डिंग, बैरिकेट्स लगा सादा वर्दी के पुलिस वाले और लपका गिरोह के द्वारा गाड़ियों को रोक दिया जाता है। साथ ही प्राइवेट पार्किंग में गाड़ियों को पार्क करने के लिए बाध्य किया जाता है। जहां पर 100 रु. पार्किंग शुल्क वसूला जाता है। इस मामले में शिकायतकर्ताओं ने राज्य मानव अधिकार आयोग से कार्रवाई की मांग की है। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष ने पुलिस महानिदेशक राजस्थान, यातायात पुलिस अतिरिक्त महानिदेशक राजस्थान, दौसा और करौली जिले के एसपी और कलेक्टर को मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट 26 जून तक पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दौसा जिला कलेक्टर को 6 फरवरी 2023 को आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश की प्रतिलिपि प्रेषित करने के भी निर्देश दिए हैं। जिसकी पालना रिपोर्ट भी दौसा जिला कलेक्टर से 26 जून को मांगी गई है।